

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/71
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00064
CICOM/R/2018/00080

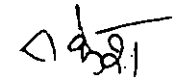
दिनांक: 14.03.2018

अपीलकर्ता : श्री के. एम. बाबू,
आर.टी.आई. कार्यकर्ता,
प्रधान संपादक/प्रदेश अध्यक्ष,
शासकीय महाविद्यालय के सामने,
कोसाबाडी, कोरबा, छत्तीसगढ़ - 495677.
मो0 - 9074923302.

निर्णय की तारीख: 14.03.2018

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	31.12.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	16.01.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री ए. के. शर्मा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	12.02.2018
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	85/26.02.2018 (112351/22.02.2018)

- अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 31.12.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 (1) (जे) के अंतर्गत आने वाले सभी प्रमाण पत्र एवं दस्तावेजों की जानकारी मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना से संतुष्ट नहीं होने पर अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दाखिल की है तथा क्षतिपूर्ति के रूप में 25000/-रु0 की राशि की मांग की है।
- संबंधित संचिका एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के उक्त आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 16.01.2018 को पत्र सं. CICOM/R/2018/00080 के माध्यम से प्रदान की गई सूचना बिल्कुल सही है एवं इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति का प्रश्न ही नहीं उठता है।
- तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।
- प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।



(आर. के. सिंह)

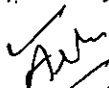
अपर सचिव एवं

प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

- श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।


15/03/18

0/L

